104

संख्या 105/XII/07/92(22)/03

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग दिनांक 23 अप्रैल, 2007

विषयः– उत्तराखण्ड में जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 546/पं0ग्रा0अ0से0अनु0/92(22)/2003 दिनांक 24 सितम्बर 2003 के द्वारा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक का गठन करते हुए 05 अस्थाई पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त अनुश्रवण कोष्ठक के गठन के फलस्वरूप यह अनुभव किया जा रहा है कि जिला पंचायत के नियमित कार्य जैसे जिला पंचायत के अनुश्रवण का कार्य, वित्त आयोग की धनराशि के व्यय, अभिलेखों के रख–रखाव, केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु स्थापित रिवाल्विंग फण्ड के संचालन एवं रख–रखाव आदि के कार्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ गये है, जिसके कारण स्टाफ की कमी अनुभव की जा रही है।

2. अतः जिला पंचायत के कार्यो के शीघ्र एवं त्वरित निस्तारण हेतु जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक हेतु पूर्व स्वीकृत पदों को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित 07 अस्थाई पदों की उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 28–02–2008 तक के लिये सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0सं	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये)
1.	संयुक्त निदेशक	01	12000–375–16500
2.	लेखाकार	01	5000–150–8000
3.	आशुलिपिक	01	4000–100–6000
4.	प्रवर सहायक	01	4000–100–6000
5.	कनिष्ठ सहायक	02	3050–75–4590
6.	चतुर्थ श्रेणी	01	2550–55–3200
	योग	07	

क्रमशः 2 पर....

(107)

3 उक्त के अतिरिक्त 01 चतुर्थ श्रेणी एवं 01 चालक के पद को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 30(NP)/वि0अनु0–4/2007 दिनांक 17 अप्रैल 2007 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

19/4/07

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या /XII/07/92(22)/03 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कूमायूँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
8. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त विभाग–4।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव।